न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :–82/2021/भीलवाड़ा

जेठीदेवी पत्नि श्री लक्ष्मणलाल जाति गुर्जर निवासी बडी पोल मादेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।

–अपीलांट

बनाम

1. गोपालसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ऊखंलिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवासी झांतला तहसील सिंगोली जिला नीमचं मध्यप्रदेश।
2. श्रीमति कैलाशकंवर पुत्री चतरकंवर पत्नि प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ग्राम ऊखंलिया तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा हाल मुकाम गजरा तहसील गंगरार जिला जिला चित्तोडगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।

–रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय अपर जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 23.09.2021 जो अपील संख्या 03/2019 में पारित किया गया तथा नामातंकरण संख्या 1121 को निरस्त किया गया।

उपस्थित अभि0:–

1. अपीलांट अभि0– श्री जी0एस0लखावत
2. रेस्पोडेंट अभि0–श्री सुमित कडवासा–1, जी0एस0लखावत–2
3. राजकीय अभि0– अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः–29.03.2023**

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ऊंखलिया तहसील हुरड़ा में स्थित कृषि आराजी खसरा नम्बर 886, 1047, 1049, 1068, 1071, 1074 कुल किता 6 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि खातेदार श्रीमति चतरकंवर बेवा मोतीसिंह राजपूत के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। उक्त भूमियां रेस्पोडेंट संख्या 1 ने खातेदार की जगह अन्य महिला को खड़ा करके आपराधिक कृत्य करते हुए अपने नाम निष्पादित करवा लिया। जिसकी जानकारी चतरकंवर को होने के बाद वह अपने पीहर चली गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वहां जाकर उसकी हत्या कर दी। इस बाबत हत्या का मुकदमा रेस्पोडेंट गोपालसिंह के विरूद्ध चला तथा वह सिविल कारावास में निरूद्ध रहा। इसी कारण नामातंरण संख्या 1020 खारिज कर दिया है। चतरकंवर की मृत्यु के बाद विरासत नामातंरण संख्या 1121 कैलाशकंवर पुत्री मोतीसिंह के नाम स्वीकृत किया गया है। कैलाशकंवर पुत्री मोतीसिंह द्वारा दिनांक 29.06.2017 को एक पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से अपीलांट जेठीदेवी को भूमि विक्रय कर दी गई है। इस बाबत गोपालसिंह रेस्पोडेंट द्वारा नामांतरण संख्या 1121 की अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा में प्रस्तुत की गई। दोनो नामांतरणों में पृथक–पृथक अपीले प्रस्तुत की गई। गोपालसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील में मुझे पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि उसके द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2018 में पारित निष्पादित डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा आरएए न्यायालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत की गई अपील की जानकारी गोपालसिंह को थी। उसके बावजूद अतिरिक्त जिला कलक्टर के यहां अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया। अतः अतिरिक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर भीलवाड़ा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.09.2021 से असंतुष्ट होकर निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की जा रही है—

1. अधीनस्थ न्यायालय में गोपालसिंह द्वारा मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई थी।

2. गोपालसिंह के आपराधिक कृत्य की जानकारी होने के बावजूद उससे संबंधित तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद उन तथ्यों को देखे बिना अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा विधि विरूद्ध निर्णय दिया गया है।

3. रेस्पोडेंट गोपालसिंह को राजस्व वाद संख्या 39/2018 तथा निर्णय 06.06.2018 के विरूद्ध आरएए न्यायालय भीलवाड़ा में अपील के तथ्यों को छुपाते हुए और बिना हमे पक्षकार बनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो उचित नहीं है। अपील स्वीकार की जायें तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.2021 को निरस्त किया जायें।

अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी, धारा 5 मियाद अवधि प्रार्थना पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कियें।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। बहस सुनी गई।

बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित रहे। वकील रेस्पोडेंट अनुपस्थित रहें। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि विवादित भूमियां ग्राम ऊंखलियां में है तथा खातेदार चतरकंवर बेवा मोतीसिंह थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा अन्य महिला को चतरकंवर के रूप में खड़ा कर रजिस्ट्री करवा ली थी। इसी वजह से गोपालसिंह के खिलाफ कार्यवाही की गई थी। बाद में में चतरकंवर की हत्या गोपालसिंह के द्वारा कर दी गई। नामातंरण संख्या 1020 दिनांक 25.04.2012 को एफआईआर होने से खारिज किया गया। चतरकंवर ने कोई रजिस्ट्री नही की थी। चतरकंवर की विरासत बाद में उसकी पुत्री कैलाशकंवर के नाम नामातंरण संख्या 1021 हुई। कैलाशकंवर ने जेठीदेवी वर्तमान अपीलांट को विक्रय की। खसरा नम्बर 58 रकबा 14 बीघा है। उक्त विक्रय दिनांक 29.06.2014 को किया गया। जेठीदेवी के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है। गोपालसिंह द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के यहां अपील प्रस्तुत की गई। जिसमे जेठी को पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि जेठी सन् 2017 में जमीन खरीद चुकी थी। गोपालसिंह द्वारा वहां पर की गई, अपील मियाद बाहर थी। जिस पर गोपाल सिंह के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। गोपालसिंह ने बताया कि वह जेल में था इसलिए अपील देरी से प्रस्तुत की गई। उक्त कथन असत्य कथन है। क्योंकि वह गलत काम की वजह से जेल रहा था तथा उसे जानकारी थी। गोपालसिंह द्वारा सन् 2018 में 39/18 नम्बर से एसडीओ गुलाबपुरा में दावा दर्ज करवाया गया था। उक्त दावें के निर्णय के बाद उसके द्वारा आरएए न्यायालय में दिनांक 16.01.2019 को अपील की गई। उसे जानकारी 2018 मे होना माना जायेगा। गोपालसिंह के पक्ष मे कोई भूमि का विधिक ट्रांसफर नहीं हुआ है। गोपालसिंह अपने दस्तावेज की सत्यता के लिए कोर्ट में जाकर घोषणा करायें। विरासत नामातंरण से भूमि कैलाशकंवर के नाम ही जायेगी। गोपालसिंह विरासत में कोई क्लेम नहीं कर सकता है। नामातंरण कार्यवाही 135(2) में [illegible] है पर समरी कार्यवाही होगी। धारा 135(2) में सुना जाना आवश्यक होता है तथा विरोधी पक्षकार के क्लेम को एक्जामिन का निर्णय करना होता है। गोपालसिंह हत्या के प्रकरण में [illegible] हुआ है। बहस सुनी गई। बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:01 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट द्वारा विवादित भूमि दिनांक 29.06.2015 को पंजिकृत विक्रय पत्र से रेस्पोडेंट संख्या 2 से खरीद की है। तब से उसका मौके पर कब्जाकाश्त है। किन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत अपील में हमें पक्षकार नहीं बनाया जाकर आदेश प्राप्त किया है। अपीलांट का हित निहित है। वह व्यथित पक्षकार है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.06.2017 से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 58 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि कैलाशकंवर से खरीद की गई है। जबकि गोपालसिंह द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा में नामातंरण संख्या 1121 के विरूद्ध दिनांक 05.02.2019 को अपील प्रस्तुत की जाना पाया जाता है। उक्त अपील प्रोसिडिंग में खसरा नम्बर 58 का भी उल्लेख है जो वर्तमान अपीलांट के द्वारा कैलाशकंवर से खरीद किया हुआ है। इस प्रकार अपीलांट हितबद्ध पक्षकार है तथा उन्हें अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.09.2021 की जानकारी प्रार्थीया को नहीं थी। उक्त जानकारी दिनांक 16.11.2021 को रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा यह बताने पर कि आदेश हमारे पक्ष में हुआ है, जानकारी हुई है। दिनांक 17.11.2021 को नकल हेतु आवेदन दिया। दिनांक 24.11.2021 को नकल प्राप्त हुई। उसके शीघ्र बाद अपील प्रस्तुत की गई। दिनांक 26.11.2021 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जाना पायी जाती है। चूंकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.09.2021 में अपीलांट पक्षकार नहीं थी। उसे देरी से जानकारी प्राप्त हुई है। जानकारी दिनांक से अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। दिनांक 02.12.2021 को वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति को स्थगित रखे जाने का आदेश दिया गया।

अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। नामातंरण संख्या 1121 खाता संख्या 78 एवं 97 ग्राम ऊंखलियां की खातेदार चतरकंवर बेवा मोतीसिंह राजपूत बतायी गई है। कॉलम संख्या 9 में कैलाशकंवर पुत्री चतरकंवर का नाम दर्ज किया गया है। कॉलम संख्या 10 में खसरा संख्याओं में खाता संख्या 71 के सामने किता 6/886 अंकित है जिसका क्षेत्रफल 13 बीघा 10 बिस्वा है तथा खाता संख्या 97 के आगे खसरा नम्बर 58 अंकित है। जिसका क्षेत्रफल 14 बीघा 10 बिस्वा है। कॉलम नम्बर 14 में विरासत चतरकंवर आदेश तहसीलदार हुरड़ा दिनांक 27.02.2013 अंकित है। कॉलम नम्बर 16 में यह अंकित है कि माफिक आदेश तहसीलदार साहब हुरड़ा के तथा प्रार्थीया के शपथ पत्र के आधार पर तथा ग्रामवासीयों की दी गयी जानकारी के अनुसार इन्तकाल खोला गया है, सो बाद जांच निर्णय करावें तथा पूर्व में विक्रय के नामातंरण क्रमांक 1020 खारिज हो चुका है सो बाद जांच कर निर्णय करावें। दिनांक 27.05.2013 को उक्त नामातंरण पटवारी हल्का रिपोर्ट स्वीकृत किया गया है तथा खाता संख्या 78 और 97 का नामातंरण संख्या 1121 दिनांक 27.05.2013 से विरासत से चतरकंवर बेवा मोतीसिंह के बजाय कैलाशकंवर पुत्री चतरकंवर के नाम भूमि दर्ज हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:01 IST
Reason: SelfAttested

चतरकंवर द्वारा गोपालसिंह, सिनोदकुमार, जगदीश पुत्र कल्याण के विरूद्ध एक इस्तगासा धारा 406,420,120बी, 467,468 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज करवाया था। उक्त इस्तागासा 144/2011 नम्बर से दर्ज किया गया था। उक्त परिवाद में चतरकंवर ने आराजी नम्बर 58 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपने नाम दर्ज होना और अपने कब्जेकाश्त में बतायी। यह बताया कि दिनांक 08.12.2010 को रेस्पोडेंट संख्या 1 ने सिनोदकुमार और जगदीश के साथ मिलीभगत कर योजनाबद्ध तरीके से उनकी वृद्धावस्था एवं शारिरिक स्थिति सही नही होने एवं अनपढ होने के साथ राजस्थान से बाहर निवास करने का लाभ उठाते हुए योजना अनुसार छल व कपट से रेस्पोडेंट नम्बर 1 में परिवादिया का बेचान विक्रय पत्र एवं रिलीज डीड पर परिवादिया की बिना सहमति एवं बिना जानकारी के परिवादिया की फोटों चिपकार एवं फर्जी अंगूठा निशानी लगाकर उक्त सम्पूर्ण आराजीयात को मुल्जिम नम्बर 2 व 2 से मिलीभगत कर अपने नाम करवा लिया। इसकी जानकारी परिवादिया चतरकंवर को दिनांक 18.08.2011 को आराजीयात को सिनजारी को भिजवाने पर हुई। यह है कि परिवादिया काफी वृद्ध होने से स्वयं अकेली वाके ग्राम झांतला तहसील जावद जिला नीमच(मध्यप्रदेश) में निवास कर रही है तथा दिनांक 18.08.2011 को अपनी आराजीको सिजारी पर देने आयी तब उक्त सभी अभियुक्तगणों ने परिवादिया को कहा कि यह सम्पूर्ण आराजियात अब हमारी हो गई है। जिस पर परिवादिया ने उक्त अभियुक्तगण को ओलमो दिया जिस पर अभियुक्त नम्बर 1 ने परिवादिया के साथ मारपीट कर उक्त कृत्य की कानूनी कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी दी है। यह है कि उक्त संबंध में परिवादिया द्वारा पुलिस थाना शम्भुगढ़ में रिपोर्ट पेश की गई लेकिन पुलिस थाना शम्भुगढ़ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की। यह कि परिवादिया शारीरिक रूप से काफी वृद्ध व अस्वस्थ होने के कारण आज आप न्यायालय में इस्तगासा पेश करने में काफी कठिनाइयों का सामना कर उक्त प्रकरण बाबत यह इस्तगासा आप न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत करने की चाराजोई पेश हुई है। उक्त परिवाद दिनांक 20.08.2011 को गुलाबपुरा एसीजेम को दिये है। दिनांक 23.08.2011 को उक्त परिवाद पुलिस स्टेशन शम्भूगढ़ भेजा गया। इस बीच दिनांक 28.08.2011 को चतरकंवर की हत्या हो जाती है। इस पर सैशन प्रकरण 200/2011 राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक चितौड़गढ़ विरूद्ध गोपालसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ऊखंलिया थाना शम्भूगढ़ जिला भीलवाड़ा अन्तर्गत धारा 302, 324,450 आईपीसी दर्ज किया जाकर अपने निर्णय दिनांक 27.11.2015 को उक्त धाराओं में दोषी घोषित करते हुए दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा में रेस्पोडेंट गोपालसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो को देखा गया। उक्त अपील में गोपालसिंह द्वारा यह माना गया है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र जो कि चतरकंवर द्वारा दिनांक 08.12.2010 को गोपालसिंह के पक्ष में किये थे। उन्हें कोई मान्यता न देते हुए विवादित नामातंरण चतरकंवर की पुत्री कैलाशकंवर के नाम खोला गया है। बिना मुझे कोई नोटिस दिये विवादित नामातंरण खोल दिया गया है। साथ ही यह भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के नामातंरण खोलने का अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत को होता है। यह नामातंरण संख्या 1121 भी पटवारी हल्का द्वारा भरकर ग्राम पंचायत ऊंखलियां के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें दिनांक 05.04.2013 को यह नामातंरण आगामी कोरम पेश करने का आदेश दिया था। उसके बाद बिना किसी कारण के दिनांक 27.05.2013 को तहसीलदार द्वारा केवल एक लाईन में रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार स्वीकृत कर दिया गया। जो निरस्त योग्य है। नामातंरण संख्या 1121 विरासत का नामातंरण है तथा मृतक चतरकंवर की विरासत कैलाशकंवर को ही होगी। इस बाबत [illegible] पर कोई विरोधाभास नहीं है। ना ही विरासत में गोपालसिंह कोई क्लेम कर रहा है। उक्त नामातंरण खोलते समय कोई विरोध किसी अन्य पक्ष द्वारा नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में नामातंरण कार्यवाही धारा 135(2) में न होकर समरी कार्यवाही के माध्यम से ही निपटायी जाती है। गोपालसिंह को कोई लाभ नामातंरण कार्यवाही के द्वारा नही दिया जा सकता है। क्योंकि गोपालसिंह को इन्ही भूमियों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:01 IST
Reason: SelfAttested

संबंधित प्रकरण में फर्जकारी की वजह से चतरकंवर द्वारा गोपालसिंह के विरूद्ध न्यायालय एसीजेएम गुलाबपुरा में परिवाद भी दर्ज करवाया था। न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद को धारा 156 में दर्ज कर जांच हेतु पुलिस थाना शम्भूगढ़ भिजवाया गया था। उक्त परिवाद में चतरकंवर द्वारा दिनांक 08.12.2010 को निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को फर्जी बताया गया था। ऐसी अवस्था में रेस्पोडेंट को चाहिए था कि वह सक्षम न्यायालय में जाकर विक्रय पत्र और हकत्याग के सही होने बाबत घोषणा करवाता। मगर उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। न्यायालय आरएए उक्त प्रकरण के प्रकरण संख्या 395/2018 जेठीदेवी बनाम गोपालसिंह की न्यायालय प्रोसिडिंग से स्पष्ट है कि गोपालसिंह के वकील या अभिभाषक को दिनांक 16.01.2019 को तामील हो चुकी है, यह जानकारी हो चुकी थी। मगर अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा में उसके द्वारा नामातंरण की जानकारी दिनांक 09.07.2019 को होना बताया है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि गोपालसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा में तथ्यों को छिपाते हुए अपील प्रस्तुत की गई है। उसे यह जानकारी थी कि वर्तमान अपीलांट जेठीदेवी द्वारा वादग्रस्त भूमि दिनांक 30.06.2017 को क्रय की गई थी। मगर फिर भी उसके द्वारा अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। जो उचित नही है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट गोपालसिंह क्लीन हैण्ड से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। उन्हें जानकारी होते हुए भी अपीलांट को अपीलाधीन प्रोसिडिंग में पक्षकार नहीं बनाया गया तथा मृतक चतरकंवर की विरासत सही तौर से कैलाशकंवर के पक्ष में खोली गई है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण संख्या 3/2019 अन्तर्गत अपील धारा 75 एलआरएक्ट विरूद्ध तहसीलदार हुरड़ा नामातंरण संख्या 1121 दिनांक 27.05.2013 निर्णय दिनांक 23.09.2021 निरस्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:01 IST
Reason: SelfAttested